संख्या-13822019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 04 जून 2019

विषय:- **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-400/स0क0/ शिक्षा-अ/03/2019-20, दिनांक-09.05.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण के लिये प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2019-20 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3- उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हुये आयोजित किया जाना है। तत्क्रम में वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का प्रस्ताव है:-

क्र0 सं0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019-20)**
1	**2**	**3**
	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/	01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। **(नोटः–राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 20 जुलाई 2019 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)**	01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।	21 जुलाई 2019 से 23 अगस्त 2019 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	01 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	24 अगस्त 2019 से 16 सितम्बर 2019 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 20 अगस्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक अनवरत जारी रहेगा।)	2019 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 27 अगस्त 2019 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 03 सितम्बर 2019 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	04 सितम्बर से 20 नवम्बर 2019 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	13 सितम्बर 2019 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	03 सितम्बर से 10 सितम्बर 2019 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	11 सितम्बर 2019 से 22 सितम्बर 2019 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	25 सितम्बर 2019 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2019 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2019 को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	नोटः–(01 जुलाई से 20 अगस्त 2019 तक आवेदन करने वाले एवं 02 जुलाई से 03 सितम्बर, 2019 तक संस्था से अग्रसारित हुये सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर, 2019 को भुगतान हेतु डाटा में शामिल किया जायेगा।)	
	कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु	
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अक्टूबर 2019 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 24 अक्टूबर 2019 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	08 नवम्बर 2019 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	25 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2019 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	21 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2019 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	20 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक
23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 03 दिसम्बर 2019 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	21 नवम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	06 दिसम्बर 2019 से 16 दिसम्बर 2019 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाॅक किया जाना।	17 दिसम्बर 2019 से 11 जनवरी 2020 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माॅंग सृजित कराना।	16 जनवरी 2020 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (म.चंलउमदज) के तहत च्थ्डै से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2020 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020 को

नोटः-

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31 अगस्त 2019 तक अपलोड करेगें। यदि परीक्षा परिणाम इसके उपरान्त घोषित किया जाता है तो नवीनीकरण के ऐसे छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

3- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-138/2019/2124(1)/26-3-2019 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।